न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 06/2019 **(GCMS No.-2019/00199)**

अपीलार्थी/प्रार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी/अप्रार्थी**
1— गंगाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट, निवासी मूलजी का बेरा, प्रहलादपुरा, तहसील बासेलर, जोधपुर (प्रोपराईटर— उचित मूल्य दुकान मैसर्स गंगाराम, केरली नाडी, ग्रा.पं.प्रहलादपुरा, तहसील बालेसर जिला जोधपुर पोस कोड—23112)		1—जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर

अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 (1) (क), राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश, 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.01.2019 व 27.08.2019, 28.08.2019 जो जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2019 में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1—अपीलार्थी अनुपस्थित।
2—प्रत्यर्थी अनुपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान मैसर्स गंगाराम केरली नाडी, ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा, तहसील बालेसर जिला जोधपुर वर्ष 1988 से संचालित की जा रही है। अपीलार्थी के विरूद्ध जोगाराम, पुरखाराम, मगाराम, शेराराम, जेठाराम एवं उम्मेदाराम उक्त उचित मूल्य दुकान पर आकर राशन के गेहूं देने को कहने पर उनके राशन वितरण के लिए दर्ज एवं रजिस्टर्ड राशन कार्ड या आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड लाने को कहा, तब उक्त लोगों ने सरकारी कर्मचारी होने का कहते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत करने की धमकिया दी। आगे बतलाया कि दिनांक 25.01.2019 को झूठी शिकायत तहसीलदार के समक्ष करने तथा एक अन्य शिकायत दिनांक 31.01.2019 को उपखण्ड अधिकारी बालसेर के समक्ष दर्ज करवाई तथा अपीलार्थी को बिना सुने एवं

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

सुनवाई का मौका दिये बिना प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2019 के द्वारा प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज 06/2019 **(GCMS No.-2019/00199)** कर प्रत्यर्थी/अप्रार्थी (जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर) को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख भी तलब किया गया। मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 14.02.2025 को प्राप्त हुई। अपीलार्थी पक्ष की ओर से लिखित बहस पेश हुई।

अपीलार्थी की ओर से बहस में बतलाया कि अपीलार्थी 31 वर्षो से उचित मूल्य दुकान मैसर्स गंगाराम केरली नाडी, ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा तहसील बालेसर के नाम से चलाई जा रही है, इस प्रकरण के अलावा अपीलार्थी के विरूद्ध कभी कोई शिकायत नही रही। अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत की शुरूआत तब हुई, जब अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर जोगाराम, पुरखाराम, मगाराम, शेराराम, जेठाराम व उम्मेदाराम नाम के व्यक्ति आकर सरकार द्वारा दिये गये राशन के गेहूं देने के लिए कहा व अपीलार्थी ने इन लोगों के राशन वितरण के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड लाने पर देने को कहा। उक्त लोगों ने अपने आपकों सरकारी कर्मचारी थे/है (सेना से रिटायर्ड सुबेदार या रेल्वे कर्मचारी) होने से नाम रजिस्टर्ड नही होने को कहा, परंतु सस्ते गेहूं देने ही हागा की धमकी दी तथा नही देने पर शिकायत करने की धमकी भी दी। अपीलार्थी ने बताया कि उसको सुनवाई का मौका निलम्बन की दिनांक से 90 दिवस के पश्चात दिया गया। बहस में आगे कहा कि अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत प्रहलादपुरा ग्रामवासियों को पता चला कि शिकायत बाहरी गांव के लोगों द्वारा किया गया है जो वास्तव में उचित मूल्य दुकान मैसर्स गंगाराम केरली नाडी के उपभोक्ता ही नही है तब ग्रामवासियों द्वारा एक प्रतिवेदन जिला रसद अधिकारी एवं तहसीलदार के समक्ष अपीलार्थी के समर्थन में पेश किया। मंगलाराम नाम से अपीलार्थी का कोई पुत्र नही होना बताया। शिकायतकर्ता द्वारा की गई मूल शिकायत जो तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दिनांक क्रमशः 25.01.2019 एवं 31.01.2019 को की गई वो पूर्णतया भिनन थी एवं शिकायतकर्ताओं के बयान एवं बाद में की गई शिकायते मूल शिकायतों से पूर्णतया भिन्न एवं सोची समझी साजिश के तहत दर्ज करवायी गयी। अपीलार्थी ने कभी किसी गलत राशन कार्ड धारक को गेहूं वितरित नही किये। राशन कार्ड का गलत सिडिंग होने की वजह से ये समस्या हुई कहा गया। बहस में यह भी कहा कि शिकायतकर्ताओं ने बयानो में कहा कि सरकारी कर्मचारी के कार्ड में किसी अन्य का आधार कार्ड सिड हो रखा है तो आधार कार्ड सिडिंग कार्य राशन कार्ड धारक स्वयं का, ईमित्र का एवं सरकारी एजेन्सी का है, इसमें अपीलार्थी का कोई दोष नही है, किसी भी व्यक्ति का खाद्य सुरक्षा में चयन

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

करने या नही करने का कार्य डीलर का नही है, यह कार्य ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी एवं उच्च अधिकारियों का है इसलिए इस तरह के आरोप सम्पूर्ण रूप से निराधार है, औचित्यहीन होना कहा। जिला रसद अधिकारी एवं जांचकर्ता प्रवर्तन निरीक्षक ने आलौच्य आदेश में राशन सामग्री का वितरण पोस मशीन के द्वारा किया गया, स्वीकार किया गया। पोस मशीन प्रणाली लागू हो जाने के पश्चात तकनीकी रूप से प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा अपने राशन कार्ड के इन्द्राज कराने की आवश्यकता नही रही। बहस में आगे बतलाया कि शिकायतकर्ता ने स्वयं (फिंगरप्रिन्ट) पोस मशीन पर लगाकर राशन लिया है तो अब शिकायतकर्ता स्वयं के द्वारा लगाये गये अंगूठे के निशान से इंकार नही कर सकते है। आलौच्य आदेश दिनांक 27.08.2019 में अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र को after thought होना का कथन किया गया, इसके लिए अपीलार्थी यह प्रस्तुत करना चाहेगा कि यह कथन पूर्णतया गलत है क्योंकि कलक्टर महोदय के समक्ष ग्राम प्रहलादपुरा के उपभोक्तागण दिनांक 26.02.2019 को उपस्थित होकर अपीलार्थी के समर्थन में ज्ञापन दिया कि उपभोक्ताओ के पक्ष को सुने बिना जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रस्तुत कर दी गई। इस पर भी जांच नही करने पर प्रत्यर्थी पक्ष के समक्ष जवाब के समय इन शपथ पत्रों को प्रस्तुत करना पड़ा बताया गया। बहस के अंत में कहा कि डीलरों की झूठी शिकायतों से लेकर राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ 17(45) खा.वि./विधि/76/।।। दिनांक 02.09.2008 दिशा निर्देश का हवाला देते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र (पोस कोड–23112) को पुनः बहाल करने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थी/अप्रार्थी (जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर) ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 14.02.2025 से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा के डीलर गंगाराम की उचित मूल्य दुकान (पोस मशीन सं : 23112) में राशन वितरण संबंधी शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी जिसकी जांच तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 25.01.2019 को एवं प्रवर्तन निरीक्षक बालेसर द्वारा दिनांक 28.01.2019 को की गई जिसमें पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर दिनांक 31.01.2019 को उक्त दुकान का लाइसेंस निलंबित कर इसकी व्यवस्था नजदीकी डीलर मैसर्स बंशीलाल (चामू) को दी गई। दिनांक 04.02.2019 को ग्रामीणों द्वारा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर का इसकी विस्तृत जांच करने संबंधी ज्ञापन दिया गया। जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक बालेसर द्वारा दिनांक 06.02.2019 को मौके पर जांच की गई। इसी क्रम में दिनांक 18.02.2019 को दोबारा जांच की गई। श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के निर्देश पर आदेश क्रमांक 38/21.02.2019 द्वारा एक टीम का गठन किया जिसने दिनांक 22.02.2019 को मौके पर जाकर पुनः जांच की। दिनांक 26.02.2019 को डीलर गंगाराम के समर्थन में लोगो ने श्रीमान जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया कि उनके पक्ष को नही सुना गया जिस कारण उनके बयान दर्ज नहीं हुए। इसकी पालना में दिनांक 12.03.2019 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रहलादपुरा जाकर शेष उपभोक्ताओं के बयान लेकर जांच की गई। प्रवर्तन

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

निरीक्षक बालेसर द्वारा दिनांक 13.03.2019 को उचित मूल्य विक्रेता के विरूद्ध विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार उचित मूल्य विक्रेता द्वारा अनियमितताएं करना स्पष्ट हुआ। डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 03/2019 दर्ज रजिस्टर किया जाकर डीलर को जारी प्राधिकार पत्र को अग्रिम आदेशों तक आदेश क्रंमाक 183 दिनांक 31.01.2019 को निलम्बित किया जाकर कारण बताओं नोटिस क्रमांक 195 दिनांक 31.01.2019 जारी किया गया। तत्पश्चात प्रवर्तन निरीक्षक की विस्तृत जांच रिपोर्ट 13.03.2019 के संदर्भ में संशोधित नोटिस क्रमांक 504 दिनांक 03.04.2019 को जारी कर 12.04.2019 को डीलर को तामिल करवाया गया। जिसमें पेशी दिनांक 22.04.2019 नियत की गई। कार्यालय द्वारा जारी नोटिस विधिवत डीलर को तामील कराया गया। उचित मूल्य विक्रेता गंगाराम द्वारा उक्त नोटिसो का जवाब लिखित में दिनांक 28.06.2019 को प्रस्तुत किया गया। जवाब में उचित मूल्य विक्रेता गंगाराम, केरलीगाडी द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों ने व्यक्तिगत एवं राजनैतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर राशन नहीं देने की शिकायत की गई है जो पूरी तरह से निराधार है। जवाब में उचित मूल्य विक्रेता द्वारा कुछ उपभोक्ताओं के एक ही फारमेट में छपे हुए सादे कागज पर शपथ–पत्र प्रस्तुत किए गए जिसमें कई उपभोक्ताओं के अंगूठा निशान व कई उपभोक्ताओं के नामोलेख किए हुए पाये गए जो ऑफ्टरथॉट करके बनाए हुए प्रतीत हुए। उचित मूल्य विक्रेता द्वारा बॉयपास ऑपशन का दुरूपयोग कर गेंहूं के दुरूपयोग करने एवं एक ही राशनकार्ड पर एक ही दिन में दो बार गेंहूं का ट्रांजेक्शन कर उपभोक्ताओं को एक ही बार गेंहूं देकर गेंहूं के दुरूपयोग करने के संबंध में कोई भी सटीक व तथ्याधारित जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इस संबंध में उचित मूल्य विक्रेता को दिनांक 29.07.2019 एवं दिनांक 27.08.2019 को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। प्रवर्तन निरीक्षक व उचित मूल्य विक्रेता को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। डीलर उचित मूल्य विक्रेता श्री गंगाराम के विरूद्ध श्री गंगाराम के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक बालेसर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 042 दिनांक 04.04.2019 को पुलिस थाना देचू में दर्ज करवायी गयी है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार श्री गंगाराम, केरली नाडी द्वारा उपरोक्त वर्णित गम्भीर अनियमित्ताये की गई है। अतः राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 8 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स गंगाराम, केरलीनाडी को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया तथा धारा 9 के तहत जमा प्रतिभूति की सम्पूर्ण रकम समपहरण की गई जाकर निर्णय दिनांक 27.08.2019 को किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। प्रकरण में जांच रिपोर्ट दिनांक 13.03.2019 में पोस मशीन के बायपास विकल्प के दुरूपयोग कर गेहूं का दुरूपयोग होना पाया गया जांच रिपोर्ट के संलग्नक A व संलग्नक B में राशन कार्ड संख्या व कार्ड धारक

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

नाम के साथ परिवादी का बयानों का दर्ज करते हुए कारणों का स्पष्ट अंकन है, जांच रिपोर्ट के संलग्नक C में राशन डीलर द्वारा दो बार अंगूठा करवाकर एक ही माह का गेहूं वितरण करना बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा पोस मशीन के बायपास विकल्प के दुरूपयोग एवं नियम विरूद्ध ट्रांजेक्शन करने का कोई प्रमाणित कारण नही बताया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया। अतः अपील खारिज की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ कार्यालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

जिला कलक्टर, जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)